कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः-- शिविरा–माध्य/पेंशन–अ/34926/13 दिनांक :– 23.12.2019

अति–आवश्यक

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा.

विषय :–अनुपयोगी/नाकारा सामग्री निस्तारण, बकाया पेंशन प्रकरण एवं साईकिल के वितरण व प्रगति रिपोर्ट बैठक आयोजन के सम्बन्ध में ।
प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/मा/पेंशन–अ/34926/13 दिनांक 09.12.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बकाया पेंशन प्रकरण साईकिल वितरण एवं अनुपयोगी/ नाकारा सामान का निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 09.01.2020 को प्रातः 11.00 बजे मीटिंग हॉल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है । मीटिंग में आते समय इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.12..2019 द्वारा पूर्व बैठक कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशो की पूर्ण पालना के साथ (संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लेखाकर्मी/प्रभारी अधिकारी) आवश्यक रूप से पूर्ण तैयारी के साथ दस्तावेजो सहित उपस्थित होवे । पिछली बैठक में देखा गया कि आप द्वारा पूर्व में प्रस्तुत पेंशन प्रपत्रो में नई दिनांक अंकित करते हुए प्रगति के प्रपत्र पुनः प्रस्तुत कर दिये जाते है । वास्तविक स्थिति का ध्यान कर सही रिपोर्ट अंकित नहीं की जाती है, जो कि पेंशन जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है । ध्यान रहे कि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो ।

बैठक के दौरान विभाग में 02 माह से अधिक अवधि के बकाया प्रत्येक पेंशन प्रकरण के बकाया रहने के कारणो के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जावेगी । पेंशन निस्तारण में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध उत्तरउदायित्व निर्धारण की कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाये जावे ।

अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 19.06.2019, 01.08.2019, 09.08.2019, 11.09.2019, 10.10.2019 एवं 09.12.2019 द्वारा आपको विस्तृत निर्देश दिये जा चुके है । लेकिन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.12.2019 के द्वारा भेजी गयी बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार अभी तक अधिंकाश जिलो की प्रगति नगण्य है । अतः इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 21.10.2019 द्वारा दिये गये निर्देशो को ध्यान में रखते हुए जिले के प्रत्येक लेखाकर्मी को 01 माह में 15 स्कूलो के अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें । प्रगति रिपोर्ट पूर्व में भेजे गये व बैठक दिनांक 03.12.2019 में दिये गये प्रपत्र में आवश्यक रूप से लाई जावे ।

अतः समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रो की स्कूलो में बकाया अनुपयोगी सामान के निस्तारण की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित कर जिले में किसी भी स्कूल में अनुपयोगी सामग्री न होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

.....2.....

किसी शाला प्रधान, अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही न करने की स्थिति की में इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

अनुपयोगी सामान के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत की जावे :–

क्रम संख्या	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	जिले की उमावि एवं मावि विद्यालयो की कुल संख्या	जिले की उमावि/मावि की संख्या है जहां भौतिक सत्यापन के दौरान अनुपयोगी सामान/अप्रचलित पुस्तके पाई गई ।	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अब तक कितने उमा/मावि विद्यालय अनुपयोगी सामान का निस्तारण किया गया	अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने का विवरण ।

साईकिल वितरण की प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी चर्चा की जावेगी । अतः बैठक की दिनांक से पूर्व तिथि तक जिले में छात्राओ की वितरण की गई साईकिलो की संख्या अवशेष/अधिक मांग की सूचना जिलेवार लेकर बैठक में उपस्थित होवें।

क्रम संख्या	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	साईकिलो का प्रारम्भिक शेष	फर्म से प्राप्त की गई साईकिलो की संख्या	कुल योग	छात्राओ को वितरित की गई साईकिलो की संख्या	साईकिलो की अतिरिक्त मांग (यदि कोई हो तो)	अधिशेष साईकिलो की संख्या

आप अपने अधीनस्थ समस्त मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय को अपने स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरण, नाकारा सामग्री निस्तारण व साईकिल वितरण की सूचना की बैठक में लेकर आवें । इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य/पेंशन–अ/34926/13 दिनांक :– 23.12.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, राउमावि एवं प्रधानाध्यापक, रामावि ।
2. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर